

122361 - सदका-ए-जारिया से अभिप्राय क्या है?

प्रश्न

मैं सदका-ए-जारिया (निरंतर जारी रहने वाले दान) के कुछ सरल उदाहरण जानना चाहता हूँ, तथा मैं रमज़ान में या अन्य दिनों में अपना पैसा किस चीज़ में खर्च करूँ : रोज़ेदारों को इफ़्तार करवाने, या अनाथ की किफ़ालत (भरण-पोषण), या वृद्धाश्रम की देखभाल करने में?

विस्तृत उत्तर

सदका-ए-जारिया से अभिप्राय वक़फ़ है। और यह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो तीन चीज़ों को छोड़कर उसके कार्य का क्रम समाप्त हो जाता है : जारी रहने वाला सदका (दान), या लाभकारी ज्ञान (ऐसा ज्ञान जिससे उसकी मृत्यु के बाद लाभ उठाया जाए), या नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे।" इसे मुस्लिम (हदीस संख्या: 1631) ने रिवायत किया है।

नववी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस की व्याख्या करते हुए कहा :

"सदका-ए-जारिया से अभिप्राय वक़फ़ है।"

"शर्ह मुस्लिम" (11/85)।

खतीब अश-शरबीनी रहिमहुल्लाह ने कहा :

"विद्वानों के निकट सदका-ए-जारिया से अभिप्राय वक़फ़ है, जैसा कि अर-राफेई ने कहा है। क्योंकि उसके अलावा अन्य सदकात (दान), जारी रहने वाले दान नहीं हैं।"

"मुग़नी अल-मुहताज" (3/522-523)।

सदका-ए-जारिया वह दान है जिसका सवाब इनसान की मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। परंतु वह दान जिसका सवाब जारी नहीं रहता है - जैसे कि गरीबों को भोजन दान करना - तो वह सदका-ए-जारिया नहीं है।

इसके आधार पर : रोज़ेदारों को इफ़्तार करवाना, अनाथों की किफ़ालत करना और बुजुर्गों की देखभाल करना - भले ही ये सब दान के अंतर्गत आते हैं - लेकिन ये जारी रहने वाले दान (सदका-ए-जारिया) नहीं हैं। आप अनाथालय या बुजुर्गों के लिए आश्रम निर्माण में भाग ले सकते हैं। इस तरह यह एक सदका-ए-जारिया हो जाएगा, जिसका सवाब आपको तब तक मिलेगा, जब तक उस घर का उपयोग किया जाता रहेगा।

सदका-ए-जारिया के प्रकार और उसके उदाहरण बहुत हैं, जिनमें : मस्जिदें बनाना, पेड़ लगाना, कुएँ खोदना, मुसहफ़ (कुरआन) छपवाना और उनका वितरण करना, तथा किताबें छापकर, कैसिटें रिकॉर्ड करके और उनका वितरण करके उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना शामिल है।

अबू हुऱैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “मोमिन को उसकी मृत्यु के बाद उसके कार्यों और नेकियों में से जिन चीज़ों का सवाब पहुँचता रहता है, वे यह हैं : ज्ञान जो उसने सिखाया और फैलाया, नेक संतान जो वह छोड़ गया, मुसहफ़ (कुरआन) जो वह विरासत में छोड़ गया, या वह कोई मस्जिद बना गया, या मुसाफ़िरों के लिए कोई घर (मुसाफ़िरखाना) बनवा दिया, या कोई नहर जारी कर गया, या अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन के दौरान अपनी संपत्ति से कोई दान कर गया, तो उसका सवाब उसकी मृत्यु के बाद भी उसे मिलता रहेगा।” इसे इब्ने माजा (हदीस संख्या : 242) ने रिवायत किया है और अल-मुज़िरी ने “अत-तर्गीब वत-तरहीब” (1/78) में इसकी इसनाद को हसन कहा है। तथा अलबानी ने इसे “सहीह इब्ने माजा” में हसन कहा है।

मुसलमान को चाहिए कि वह अपने सदक़ात व ख़ैरात को विभिन्न जगहों में खर्च करे, ताकि उसे प्रत्येक आज्ञाकारिता वाले लोगों के साथ प्रतिफल का हिस्सा मिले। अतः आप अपने धन का एक हिस्सा रोज़ेदारों को इफ़तार करवाने के लिए, एक दूसरा हिस्सा अनाथों की किफ़ालत के लिए, एक तीसरा हिस्सा वृद्धाश्रम के लिए नियत कर दें, और एक चौथा हिस्सा मस्जिद के निर्माण में योगदान कर दें, तथा एक पाँचवाँ भाग किताबों और मुसहफ़ (कुरआन की प्रतियाँ) वितरित करने के लिए निर्धारित कर दें ... और इसी तरह।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।